(3)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेष–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.–.....03...../.सन् 2018–19

केष का प्रकार खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006

अर्जीकारः– अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा,

प्रतिपक्षीः–मेसर्स विष्णुदेव मिष्टान भण्डार प्रोपराईटर–विष्णुदेव कुमार साहु पिता शत्रुघ्न साहु,बाबूबरही बाजार, मधुबनी

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
11.3.19	प्रस्तुत वाद खाद्य संरक्षा विभाग के अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक–44/डी0ओ0/19 दिनांक–04.02.2019 जो दिनांक–08.02.2019 को प्राप्त कराया गया है, के द्वारा खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 के अंतर्गत प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त मेसर्स विष्णुदेव मिष्टान भण्डार, प्रोपराईटर–विष्णुदेव प्रसाद कुमार पिता शत्रुघ्न साहु, बाबूबरही बाजार, मधुबनी के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया। अभिहित पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान से जप्त खोआ का नमूना जॉच हेतु भेजा गया जो COMBINED FOOD & DRUG LABORATORY, AGAMKUAN (DEPARTMENT OF HEALTH, GOVT. OF BIHAR) में जॉच हेतु भेजा गया जॉच प्रतिवेदन में अंकित opinon: The Sample of Khoya does not Confirm to the prescribed standard of quality laid down under Regulation 2.1.6.1 of the Fss (Food products standards and food additives)Regulation 2011 and hence of substandard grade within the scope of sec(ZX)of the Faa Act 2006. खाद्य संरक्षा पदाधिकारी ने आवेदन में लिखा है कि अभियुक्त की दूकान में दिनांक– 23.10.2018 को 1:50 बजे अपराह्न में जॉच के समय खोआ का नमूना लेकर जॉच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया जिसमें खोआ अमानक (substandard) पाया गया। खाद्य संरक्षा अधिकारी–सह–अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक– 136/डी0. ओ0/18 दिनांक– 06.12.2018 द्वारा अभियुक्त को जॉच प्रतिवेदन संख्या– 3080 दिनांक– 10.11.2018 की प्रति भेजते हुये 30 दिनों के अंदर अपना बचाव पक्ष रखने हेतु सूचना दी गयी किन्तु उनके द्वारा कोई बचाव पक्ष अभिहित पदाधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया। अभिहित पदाधिकारी द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति आदेश भी	

भेजा गया है।

अभियुक्त को नोटिस देते हुये उनसे अपना पक्ष वकालतन/सहालतन प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाय। खाद्य संरक्षा अधिकारी को भी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

सुनवाई के समय प्रतिपक्षी के रूप में मेसर्स विष्णुदेव मिष्टान भण्डार, प्रोपराईटर–विष्णुदेव कुमार साहु पिता शत्रुघ्न साहु, बाबूबरही बाजार, मधुबनी के रूप में उपस्थित होकर लिखित पक्ष रखा जिसमें लिखा कि बाबूबरही बाजार , मधुबनी, में मिठाई दूकान चलाता हूँ। खाद्य संरक्षा अधिकारी दिनांक–23.10.2018 को उनकी दूकान से खोआ का नमूना ले गये जो जॉच में अवमानक पाया गया, खोआ में कुछ कमी पाया गया। खोआ मैं अपने स्तर से काफी अच्छा बनाने का प्रयत्य किया था परन्तु उसमें कुछ त्रटि आ गई। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जायेगी। गलती को क्षमा किया जाय।

सुनवाई के समय श्री शिवशंकर प्र0 राय, विशेष लोक अभियोजक, मधुबनी भी उपस्थित थे जिन्होंने प्रतिपक्षी के जवाब पर अपना लिखित पक्ष रखा। इनका मंतव्य है कि खोआ अवमानक पाया गया खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के तहत इन्हें दण्डित किया जाय तथा भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाय ताकि इसकी पुनरावृति नहीं हो।

सुनवाई के समय श्री अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा बताया कि जॉच प्रतिवेदन सही है जिसे प्रतिपक्षी ने स्वीकारा भी है। तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया है। किन्तु अपराध दण्डनीय है इसलिए बिक्री करनेवाले (Seller) के विरूद्ध दण्ड निरूपित किया जाय। अवमानक सामान बिक्री करनेवाले को दण्ड निरूपित किया जाय तथा भविष्य के लिए चेतावनी भी दी जाय।

निष्कर्षः–

अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु दायर आवेदन, प्रयोगशाला से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, पक्षकारों द्वारा सुनवाई के क्रम में दिये गये लिखित आश्वासन अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं विवेचन किया। श्री अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा प्रतिपक्षी के प्रतिष्ठान से प्राप्त नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजा गया जहॉ नमूना **(खोआ)** अवमानक (Substandard) पाया गया। अवमानक सामानों का बिक्री करना, अपराध है। प्रतिपक्षी का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि इनकी पहली गलती है जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया है। ऐसी स्थिति में खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–26(i)(2)(ii)51 के अंतर्गत मैं इन्हें दोषी पाता हूँ। अतः खाद्य संरक्षा अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक एवं प्रतिपक्षी को सूनने के बाद चूँकि अभियुक्त का प्रथम अपराध तथा अपराध की प्रवृति को देखते हुए **बिक्रीकर्ता (Seller):–** को इस अपराध के लिए– **मो0 5000/– (पॉच हजार) रूपये का दण्ड निरूपित करता हूँ। साथ ही आदेश देता हूँ कि भविष्य में मानक सामान का ही**

(5)

बिकी करेंगे।

अभियुक्त दण्ड की राशि उचित शीर्ष में चालान के माध्यम से अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के कार्यालय में आदेश की तिथि से एक पक्ष के अंदर जमा करें। खाद्य संरक्षा अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे दण्ड की राशि अभियुक्त से विधिवत् चालान के माध्यम से जमा करावें। यदि प्रतिपक्षी द्वारा दण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है तो अभिहित पदाधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अभिहित पदाधिकारी/खाद्य संरक्षा अधिकारी,दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को अनुपालन हेतु भेजी जाय। वाद निष्पादित।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

11/3/19

न्याय निर्णायक अधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

11/3/19

न्याय निर्णायक अधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

ज्ञापांक 85/... दिनांक 11.3.19
आदेश की प्रति अभिहित पदाधिकारी/खाद्य संरक्षा पदाधिकारी
via D.P.O., DDC ...
11.3.19